रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2015/माघ 28, 1936
No. 380] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2015/MAGHA 28, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

का.आ. 536(अ).—जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना सं. का.आ. 2062(अ), तारीख 14 अगस्त, 2014 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 (नई सं. रारा-66) के किमी. 358.750 से किमी 599.000 (अरूर से केरल/तमिलनाडु सीमा खंड) तक खंड को केरल राज्य (जो इसके आगे "प्राधिकरण" के रूप में उल्लिखित है) को सुपुर्द कर दिया है।

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण हेतु सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 तैयार की है तथा सा.का.नि. 950(अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), दिनांक 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 12 अक्तूबर, 2011 और सा.का.नि. 778(अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 तथा सा.का.नि. 26(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2014 के तहत संशोधित की है।

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 3 के साथ पठित तथा समय-समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 (जो इसके आगे "कथित नियम" के रूप में उल्लिखित है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा केरल राज्य में तिरूवनंतपुरम की परियोजना के अंतर्गत पूर्व राजपत्रित अधिसूचना का.आ. 95(अ), दिनांक 19.1.2004 का अधिक्रमण करते हुए नीचे तालिका-1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों की किस्मों पर तिरूवनंतपुरम बाइपास में अकुलम कायल पर अकुलम पुल के प्रयोग हेतु 3.79 किमी की सड़क लंबाई के समरूप 379 मीटर लंबी अवसंरचना के लिए तालिका-1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर (जो इसके आगे "आधार दर" के रूप में उल्लिखित है) पर शुल्क उद्गृहित करती है तथा प्राधिकरण को अपने कर्मचारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त आधार दर के 60% दर से शुल्क का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्;

तालिका-1

वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए फीस की प्रति किमी प्रति यात्रा शुल्क की आधार दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (4 से 6 धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (7 या अधिक धुरी)	4.20

1. निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए निम्नलिखित फीस देय और भुगतान योग्य होगी जो ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को 10 के समकक्ष गुणक से गुणा करके किसी राजमार्ग की समरूप लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई परिवर्तित करके होगी:-

पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	**अवसंरचना की लंबाई (किमी) जिसे समरूप सड़क लंबाई में परिवर्तित किया जाना है।**	**समरूप सड़क लंबाई (किमी)**	**दर, जिस पर फीस संदेय है।**
रारा-47 (नई सं. रारा-66) में तिरूवनंतपुरम बाइपास के किमी 6/400 अकुलम	*0.379	3.79	2 लेन के राजमार्ग के लिए उपर्युक्त तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

* ब्यौरा इस प्रकार है

क्र.सं.	60 मीटर से अधिक लंबाई वाली अवसंरचना (एलसीडब्ल्यू और आरसीडब्ल्यू के लिए अलग से दिया जाए)			
	चैनेज (किमी)		लंबाई (मीटर)(एलसीडब्ल्यू)	लंबाई (मीटर)(आरसीडब्ल्यू)
	से	तक		
1	5/750	6/119	379	379
कुल			379	379
अवसंरचना की औसत लंबाई=379 मीटर				

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से 20 किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2014-15 के लिए 225.00 रु. (दो सौ पच्चीस रुपए मात्र) है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्—

भुगतान योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से 24 घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य फीस की राशि का दो तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. नियमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुमत्य भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन किसी राजमार्ग खंड का उपयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता। ऐसे अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक अथवा स्वामी अथवा प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार लदे वाहन का प्रवेश करवाते समय पथकर संग्रहण एजेंसी को नियमावली के अंतर्गत यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क का 10 गुना के समतुल्य शुल्क अदा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुमत्य भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि कथित नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. फीस की दरें कथित नियम के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना परियोजना राजमार्ग के पूर्ण हो चुके भाग की लंबाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी तथा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक अंग्रेजी और देशी भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् कथित नियमों के नियम 5 के अनुसरण में और वार्षिक रूप से संशोधित कराया और प्रकाशित कराया जाएगा।

9. इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् विद्यमान प्रयोक्ता फीस अधिसूचना का.आ. सं. 95(अ), दिनांक 19.1.2004 का अधिक्रमण होगा।

10. सा.का.नि. 756(अ), दिनांक 12.10.2011 अधिसूचना के अनुसार पुल के उपयोग के लिए शुल्क की दर गत वर्ष में लागू शुल्क की दरों के 25% द्वारा नहीं बढ़ाई जाएगी तथा इसके अलावा वार्षिक वृद्धि किसी भी मामले में तत्काल गत वर्ष में लागू दर के 25% से अधिक नहीं होगी।

11. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 17.38 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्ता शुल्क की वसूली के माध्यम से पूंजीगत लागत के प्रतिलाभ का रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उद्ग्राह्य शुल्क को दरों के 40% कम किया जाएगा और कथित नियमों के अनुरूप वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा। दिनांक 31.03.2014 तक प्रयोक्ता शुल्क से कुल 12.59 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/110/2014-केएल(पी-7)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 17th February, 2015

S.O. 536(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2062(E), dated 14th August 2014 in conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government entrusted the stretch from km 358.750 to km 599.000 (Aroor to Kerala/Tamil Nadu Border Section) of National Highway No. 47 (new No. NH66) to the State of Kerala (hereinafter referred to as "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, *vide* G.S.R. 838(E), dated the 5th Dec, 2008, and amended *vide* G.S.R. 950(E), dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E), dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E), dated 12th October, 2011 and G.S.R 778(E), dated 16th December, 2013 and G.S.R 26(E), dated 16th January, 2014 for collection of fee for use of Sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for 379 m long structure with equivalent road length of 3.79 km (hereinafter referred to as "base rate") for use of the **Akkulam Bridge across Akkulam Kayal in Thiruvananthapuram bypass** on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below in supersession of the earlier Gazette Notification S.O. 95(E), dated 19.1.2004, under the project of Thiruvananthapuram bypass in the State of Kerala and authorizes the Authority_to collect, either through its officials or through a contractor, the 60% of the said base fee rate, namely:—

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per Trip per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The following fee shall be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
Akkulam Km 6/400 of Thiruvananthapuram bypass in NH47 (new No. NH66)	*0.379	3.79	Being 2 lane highway 60% of the base rates mentioned in Table 1 above

*The details are as under

S. No.	Structure having length more than 60 m (To be given separately for LCW & RCW)			
	Chainage (Km.)		Length (m) (LCW)	Length (m) (RCW)
	From	To		
1	5/750	6/119	379	379
Total			379	379
Average length of Structure = 379 m				

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journey on the highway Section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

9. The existing user fee notification bearing S.O. No. 95(E), dated 19.01.2004 shall be superseded on publishing of this notification.

10. The rate of fee for use of bridge shall not be increased by 25% of the rates of the fee applicable in preceding year and further annual increase shall in no case be more than 25% of the rate applicable in the immediately preceding year as per notification G.S.R. 756(E), dated 12.10.2011.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 17.38 crores. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules. A total of Rs. 12.59 crore has been recovered from the users fee realized till 31.03.2014

[F. No. RW/NH-12037/110/2014-KL(P-7)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.